न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 313/2024 दायर दिनॉक 02.08.2024

वादी

1. साकिर मोहम्मद पुत्र मुकत्यार खां जाति शैरानी निवासी शेरानी आबाद तहसील छोटी खाटू जिला डीडवाना–कुचामन राज0।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. सफी मोहम्मद शेरानी पुत्र मुखत्यार खां शेरानी
2. नूर मोहम्मद पुत्र मुखत्यार खां
3. मोहम्मद खां पुत्र मुखत्यार खां
4. मेहमुद खां पुत्र मुख्तियार खां
5. मन्सुर अहमद पुत्र मुख्तियार खां
6. युसुफ अली पुत्र मुख्तियार खां
7. मोहम्मद शरीफ पुत्र मुख्तियार खां
8. फातमा पुत्री मुख्तियार खां
9. जोरा बेगम पत्नी मुख्तियार खां
10. मोहम्मद हुसैन पुत्र निजाम खां उर्फ निजू खां
11. अजीज खां पुत्र कमरूदीन
12. फारूक खां पुत्र कमरूदीन
13. अ0 मजीत खां पुत्र कमरूदीन
14. मोहम्मद हुसैन पुत्र कमरूदीन
15. अली मोहम्मद पुत्र सरफुदीन
16. हाजी मोहम्मद पुत्र सरफुदीन
17. अब्दुल क्युम पुत्र सरफुदीन
18. आमना खातुन पुत्री सरफुदीन
19. जुबेदा उर्फ अफसाना पुत्री सरफुदीन
20. रहिसा पुत्री सरफुदीन समस्त जाति शैरानी निवासीगण शैरानी आबाद तहसील छोटी खाटू जिला डीडवाना–कुचामन राज0
21. यूकों बैंक, शैरानी आबाद
22. ग्राम पंचायत, लोरोली कलां
23. तहसीलदार छोटी खाटू।

दावा बाबत्
बंटवाड़ा, घोषणा खातेदारी, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 53, 188 R.T.Act.

उपस्थितः–

1. श्री मो0 शरीफ शैरानी वकील वादी।
2. श्री युनुस सलीम वकील प्रतिवादी सं0 1 ता 4 व 11 की ओर से।

–:: प्राथमिक निर्णय ::–

दिनॉक **06.12.2024**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है, वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 20 की संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा सं0 20 रकबा 1.2500 हैक्टे0, खसरा सं0 912 रकबा 0.0100 हैक्टे0 गै0मु0 टैंक, खसरा सं0 913 रकबा 0.0200 हैक्टे0 बारानी 1, खसरा सं0 915 रकबा 0.0800 हैक्टे0 बारानी 1, खसरा सं0 919 रकबा 3.6400 हैक्टे0 बारानी 1, खसरा सं0 1724/668 रकबा 4.5900 हैक्टे0, खसरा सं0 1722/917 रकबा 1.7050 हैक्टे0 भूमि वाकै सरहद शैरानी आबाद, पटवार हल्का शैरानी आबाद, भू0अभि0नि0 क्षैत्र खाटू खुर्द व खसरा सं0 232 रकबा 3.7500 हैक्टे0 बारानी 1 वाकै सरहद डाबगांव, पटवार हल्का लोरोली कलां, भू0अ0नि0 क्षैत्र केराप में अवस्थित है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.08 11:18:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

उक्त विवादग्रस्त जायगा में वादी व प्रतिवादगीण के मौखिक बंटवारा होकर मौके अनुसार निवें–सीवें कायम है तथा मौके अनुसार उक्त खसरान का विधिवत बंटवारा नही होने से बंटवारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस नजरी नक्शा अनुसार करवाना चाहते है।

प्रार्थना वादी की इस प्रकार है :–

1. वाकै सरहद शैरानी आबाद के खेत खसरा सं0 1724/668 रकबा 4.5900 हैक्टे0 भूमि का बंटवारा नजरी नक्शा अनुसार निम्न प्रकार है :– वादी साकिर मोहम्मद व प्रतिवादी सं0 1 सफी मोहम्मद शैरानी व प्रतिवादी सं0 3 ता 7 व 9 के संयुक्त रूप से नजरी नक्शा अनुसार 2.2950 हैक्टे0 भूमि बंट व कब्जा काश्त में रखी जावें।
–प्रतिवादी सं0 11 ता 17 के संयुक्त रूप से नजरी नक्शा अनुसार 2.2950 हैक्टे0 भूमि बंट व कब्जा काश्त में रखी जावें।
इस खसरे की भूमि में से शेष खातेदारों का नाम राजस्व रेकर्ड से हटाया जावें।
2. वाकै सरहद शैरानी आबाद के खेत खसरा सं0 20 रकबा 1.2500 हैक्टे0 भूमि व खसरा सं0 912 रकबा 0.0100 हैक्टे0 गै0मु0 टैंक व खसरा सं0 913 रकबा 0.0200 हैक्टे0 व खसरा सं0 915 रकबा 0.0800 हैक्टे0, खसरा सं0 1722/917 रकबा 1.7050 हैक्टे0 का बंटवारा नजरी नक्शा अनुसार निम्न प्रकार से है :– प्रतिवादी सं0 11 ता 17 के उपरोक्त खसरान की भूमि संयुक्त रूप से सम्पूर्ण भूमि बंट व कब्जा काश्त में रखी जावें।
इस खसरे की भूमि में से शेष खातेदारों का नाम राजस्व रेकर्ड से हटाया जावें।
3. वाकै सरहद शैरानी आबाद के खेत खसरा सं0 919 रकबा 3.6400 हैक्टे0 भूमि का बंटवारा नजरी नक्शा अनुसार निम्न प्रकार है :– प्रतिवादी सं0 10 मोहम्मद हुसैन के नजरी नक्शा अनुसार 1.8200 हैक्टे0 भूमि बंट व कब्जा काश्त कें रखी जावें।
– प्रतिवादी सं0 11 ता 17 के संयुक्त रूप से नजरी नक्शा अनुसार 1.8200 हैक्टे0 भूमि बंट व कब्जा काश्त में रखी जावें।
इस खसरे की भूमि में से शेष खातेदारों का नाम राजस्व रेकर्ड से हटाया जावें।
4. वाकै सरहद डाबगांव के खेत खसरा सं0 232 रकबा 3.7500 हैक्टे0 भूमि का बंटवारा नजरी नक्शा अनुसार निम्न प्रकार है :– वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 7 व 9 के संयुक्त रूप से नजरी नक्शा अनुसार 1.8427 हैक्टे0 भूमि बंट व कब्जा काश्त में रखी जावें।
– प्रतिवादी सं0 11 ता 17 के संयुक्त रूप से नजरी नक्शा अनुसार 1.8750 हैक्टे0 भूमि बंट व कब्जा काश्त में रखी जावें।
– प्रतिवादी सं0 22 ग्राम पंचायत लोरोली के 0.0323 हैक्टे0 भूमि बंट व कब्जा काश्त में रखी जावें।
इस खसरे की भूमि में से शेष खातेदारों का नाम राजस्व रेकर्ड से हटाया जावें।

प्रतिवादी सं0 8 फातमा व प्रतिवादी सं0 18 ता 20 को सामाजिक रिति–रिवाज के अनुसार उनका हक अदा कर दिया गया है, इसलिए इनका राजस्व रेकर्ड से हटाया जावें तथा इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें।

वादी साकिर मोहम्मद के व प्रतिवादी सं0 1 ता 7 के पिता का नाम आधार कार्ड व पासपोर्ट के अनुसार वादी के पिता का नाम मुकत्यार खां है जो कि राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जावें तथा इसी प्रकार प्रतिवादीगण के आधार कार्ड व पासर्पो के अनुसार प्रतिवादी सं0 1 का सही नाम शफी मोहम्मद शेरानी पुत्र मुख्त्यार खां शेरानी किया जावें व प्रतिवादी सं0 2 व 3 के पिता का मुख्त्यार किया जावें व प्रतिवादी सं0 4 ता 7 के पिता का नाम मुखित्यार खां किया जावें।

अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.08 11:18:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 6, 7, 21, 22, 23 तामिलगी के बावजूद न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही प्रभाव में लाई जाने का आदेश पारित किया गया। प्रतिवादी सं0 1 ता 5, 8 ता 20 की तरफ से अधिवक्ता श्री मो0 रफीक ने इकबालिया जवाब पेश किया।

बहस विद्वान अधिवक्ता वादी श्री मो0 शरीफ शैरानी व अधिवक्ता प्रतिवादीगण श्री मो0 रफीक की सुनी गई। पक्षकारान वाद में प्राथमिक डिक्री किये जाने में सहमति व्यक्त करते है तथा अन्य किसी पक्षकारान द्वारा वाद का खण्डन नही किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। वादी व प्रतिवादीगण खातेदारी घोषणा एवं विधिवत बंटवारा करवाना चाहते है। उक्तानुसार वादग्रस्त भूमि का पक्षकारान् के बीच प्राथमिक डिक्री की जाकर, तहसीलदार छोटी खाटू से विभाजन प्रस्ताव लिया जाना न्यायालय को न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः, बाद विवेचन, वाद वादी, प्राथमिक डिक्री सादिर किया जाकर आदेश दिया जाता है कि :–

–:आदेश :–

वाकै सरहद शैरानी आबाद, पटवार हल्का शैरानी आबाद भू0अ0नि0 क्षैत्र खाटू खुर्द के खेत खसरा सं0 20 रकबा 1.2500 हैक्टे0, खसरा सं0 912 रकबा 0.0100 हैक्टे0 गै0मु0 टैंक, खसरा सं0 913 रकबा 0.0200 हैक्टे0 बारानी 1, खसरा सं0 915 रकबा 0.0800 हैक्टे0 बारानी 1, खसरा सं0 919 रकबा 3.6400 हैक्टे0 बारानी 1, खसरा सं0 1724/668 रकबा 4.5900 हैक्टे0, खसरा सं0 1722/917 रकबा 1.7050 हैक्टे0 व सरहद डाबगांव, पटवार हल्का लोरोली कलां, भू0अभि0नि0 क्षैत्र केराप के खेत खसरा सं0 232 रकबा 3.7500 हैक्टे0 की भूमि में वादी व प्रतिवादीगण के मध्य खाता विभाजन के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार छोटी खाटू राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 पालना करते हुए, मौके पर जाकर पक्षकारान को विधिवत सूचित करते हुए वादी व प्रतिवादी 01 ता 20 के मध्य विभाजन प्रस्ताव तैयार कर दो प्रतियों में 20.01.2025 से पूर्व न्यायालय में पेश करें।

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

प्राथमिक निर्णय आज दिनाँक 06.12.2024 को खुले इजलास में सुनाया गया।

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.08 11:18:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner